बिहार सरकार

<u>खान एवं भूतत्व विभाग</u>

<u>:: सं क ल्प ::</u>

पटना, दिनांक–06/08/25

श्री संजय कुमार, तत्कालीन सहायक निदेशक, मुख्यालय सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा थाना कांड संख्या–19/2021 दिनांक 05.10.2021, धारा–13(2)–सह–पठित धारा–13(1)(बी) भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत मामला दर्ज होने एवं उक्त काण्ड के अनुसंधान के क्रम में उनके आवास एवं अन्य ठिकानों पर दिनांक 06.10.2021 को तलाशी करने पर उनके विरूद्ध अप्रत्यानुपातिक धनार्जन का दस्तावेजी साक्ष्य पाया गया है।

2. श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 2803 दिनांक 17.06.2022 से उनसे लिखित अभिकथन की माँग की गयी, जिसके क्रम में श्री कुमार का लिखित अभिकथन दिनांक 19.07.2022 को प्राप्त हुआ।

3. श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त लिखित अभिकथन, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि प्रतिवेदन के आधार पर श्री कुमार द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के दोषी हैं।

4. श्री कुमार का स्पष्टीकरण/लिखित अभिकथन अस्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत आरोपों की वृहद जाँच कराने का निर्णय लिया गया है। विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5416 दिनांक 28.10.2022 से विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी **संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमण्डल, पटना** तथा प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी, श्री घनश्याम झा (खनिज विकास पदाधिकारी), प्रभारी उप निदेशक, अंचल कार्यालय, पटना को नियुक्त किया गया।

5. संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 547 दिनांक 24.08.2023 से जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध आरोप संख्या–1 प्रमाणित नहीं होने, आरोप संख्या–2 प्रमाणित होने तथा आरोप संख्या–3 एवं 4 अंशतः प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में आरोपित पदाधिकारी से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत विभागीय पत्रांक 4817/एम0 दिनांक 15.11.2024 से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री कुमार द्वारा दिनांक 26.12.2024 को कारण पृच्छा समर्पित किया गया। द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत श्री कुमार द्वारा पूर्व में दिये गये स्पष्टीकरण एवं द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समरूप प्रतीत हुआ। द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नई बात साक्ष्य के साथ उपलब्ध नहीं कराया गया है और ना ही इनके द्वारा अप्रत्यानुपातिक धनार्जन, गलत सम्पत्ति विवरणी देने तथा अपने सैलरी एकाउंट एवं परिवार के सदस्यों के खाता में बड़ी राशि रखने के संबंध में अपने बेगुनाही का कोई ठोस साक्ष्य दिया गया है। साथ ही इनके द्वारा अपनी पुत्री के नाम से NSC एवं

KVP के रूप में ₹47,00,000/–(रूपये सैंतालीस लाख मात्र) के संबंध में सम्पत्ति विवरणी में जिक्र नहीं करना तथा बड़ी राशि का अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में जमा करने तथा इसकी सही जानकारी सम्पत्ति विवरणी में नहीं देना गंभीर कदाचार को दर्शाता है। इस संबंध में श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

6. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री संजय कुमार, तत्कालीन सहायक निदेशक, मुख्यालय सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध गठित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। उनके विरूद्ध आर्थिक अपराध थाना काण्ड संख्या–19/2021 दिनांक 05.10.2021 दर्ज है। श्री कुमार के विरूद्ध अप्रत्यानुपातिक धनार्जन, नियम के विरूद्ध कार्य कर सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाने जैसे गंभीर आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण बिहार पेंशन नियमावली, 1950 की नियम–43(बी) के तहत शत–प्रतिशत स्थायी तौर पर पेंशन जप्त करने का दण्ड अधिरोपण प्रस्ताव सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसपर विभागीय पत्रांक 1478 दिनांक 08.03.2025 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श मांगी गयी, जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 1402 दिनांक 01.07.2025 द्वारा दिनांक 19.06.2025 को आहूत आयोग की पूर्ण पीठ की वर्ष 2025 की 21वीं बैठक की कार्यवाही के द्वारा परामर्श दी गयी, जिसमें सम्यक विचारोपरांत आयोग द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी है।

7. अतएव श्री संजय कुमार, तत्कालीन सहायक निदेशक, (मु0) सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध अप्रत्यानुपातिक धनार्जन, नियम के विरूद्ध कार्य कर सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाने जैसे गंभीर आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के तहत **100% (शत् प्रतिशत) पेंशन स्थायी तौर पर जप्त करने का दण्ड** अधिरोपित किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(भारत भूषण प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(आ0)–09/2021–...../एम0, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(आ0)–09/2021–...../एम0, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

P.T.O.

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(आ0)–09 / 2021–..... / एम0, पटना, दिनांक.....
प्रतिलिपि :–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

ह0 / –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(आ0)–09 / 2021–..... / एम0, पटना, दिनांक.....
प्रतिलिपिः–सभी उप निदेशक / सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अपर सचिव

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(आ0)–09 / 2021–..... / एम0, पटना, दिनांक.....
प्रतिलिपिः–श्री संजय कुमार, सेवानिवृत्त सहायक निदेशक, पिता–स्व0 डा0 जे0एन0 प्रसाद, आर्य कुमार रोड, राजेन्द्र नगर, पटना–200016 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–I–रा0(आ0)–09 / 2021–4299 / एम0, पटना, दिनांक 06/08/25
प्रतिलिपिः–माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक कोषांग / अपर सचिव कोषांग / मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी / राजपत्रित शाखा / आई0टी0 मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ प्रेषित।

06/08/25
सरकार के अपर सचिव

6-8-25